न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
40/2022

तारीख दायर
22/03/2023

तारीख फैसला
09/04/2025

1. नाथूराम पुत्र भोरया उर्फ भौरीलाल जाति मीणा निवासी हरिकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :– वकील वादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 148, 149, 149/284, 158, 273 किता 5 कुल रकबा 2.3700है0 एवं खसरा नम्बर 160 रकबा 1.4000है0 अनुसार भूमि ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण अंकित होकर वास्तविक व दस्तावेजी नाम के विपरित दर्ज होने से विवादित आराजियात है। वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अंकितानुसार वादी अपने हिस्से खातेदार है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी वादी का नाम नाथू पुत्र भोरया के स्थान पर नानू पुत्र भोरया दर्ज कर दिया गया, जो कि राजस्व कर्मचारियों की भूमि की भूल व चूक के द्वारा प्रार्थी वादी का नाम त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के तहत वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी वादी का नाम नानू पुत्र भोरया इन्द्राज कर दिया गया। जो कि भूलवश लिपिकीय त्रुटिपूर्ण इन्द्राज है। जबकि मुताबिक दस्तावेजात एवं अन्य भूमियों की खातेदारी के अनुसार प्रार्थी वादी का नाम नाथू पुत्र भोरया है। जो कि वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में राजस्व विभाग के द्वारा त्रुटिपूर्ण लिपिकीए तरीके से वादी का इन्द्राज खातेदारी में वादी का नाम नाथू पुत्र भोरया के बजाय नानू पुत्र भोरया गलत अंकित कर दिया गया है। उक्त प्रकार से त्रुटिपूर्ण राजस्व रिकार्ड के कारण जमाबन्दी रिकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित है जो कि राजस्व विभाग के द्वारा लिपिकीय भूलवश सहवन से त्रुटिपूर्ण एंवं गलत इन्द्राज है, जो कि काबिले शुद्विकरण एवं दुरूस्तनीय है। जिसका वादी अधिकारी है। वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णय फरमाते हुए वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 148, 149, 149/284, 158, 273 किता 5 कुल रकबा 2.3700है0 एवं खसरा नम्बर 160 रकबा 1.4000है0 के राजस्व रिकार्ड में वादी के खातेदारी इन्द्राज नानू पुत्र भोरया के स्थान पर नाथूराम पुत्र भोरया अनुसार खातेदारी दर्ज कराने की घोषणा की जावें तथा तदानुसार राजस्व इन्द्राज में शुद्विकरण व दुरूस्तीकरण करने की आज्ञा व आदेश प्रदान करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/रीडर/2023/483 दिनांक 28.11.2023 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी के नाम ग्राम हरिकिशनपुरा में खसरा नम्बर 148, 149, 149/284, 158, 273 कुल किता 5 कुल रकबा 2.37है0 भूमि एवं खसरा नम्बर 160 रकबा 1.40है0 वादी की सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में नानू पुत्र भोरया दर्ज रिकार्ड है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम नाथूराम पुत्र भौरीलाल है। वादी/प्रार्थी अपने आधार कार्ड व पंचायत द्वारा जारी लेटर पेड के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नानू पुत्र भौरया के बजाय नाथूराम पुत्र भौरीलाल शुद्व करवाना चाहता है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस के साथ साक्ष्य के रूप में नाथूराम पुत्र भोरया उर्फ भौरीलाल, नानगराम पुत्र भोरया उर्फ भौरीलाल एवं रेवडमल पुत्र भोरया

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

उर्फ भौरीलाल समस्त जाति मीणा समस्त निवासी हरिकिशनुपरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पृथक–पृथक शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि मे वादी नाथूराम पुत्र भौरया उर्फ भौरीलाल के खातेदारी इन्द्राज नानू पुत्र भोरया गलत अंकित कर दिया गया है। चुकि नाथूराम पुत्र भोरया एवं नानू पुत्र भोरया एक ही व्यक्ति है जो कि वादी है।

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम हरिकिशनपुरा, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 148, 149, 149/284, 158, 273 कुल किता 5 कुल रकबा 2.37है0 भूमि एवं खसरा नम्बर 160 रकबा 1.40है0 के रिकार्ड में अंकित वादी का नाम नानू पुत्र भोरया के स्थान पर नानू उर्फ नाथूराम पुत्र भोरया उर्फ भौरीलाल का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ